कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।

पत्रांक 140 /14–1 ,आगरा, दिनांक, 12 जुलाई, 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– जनपद मथुरा की कोसी–नन्दगांव–बरसाना–गोवर्धन मार्ग (ओ0डी0आर0–143) के कि0मी0चैनेज–02.140 की बॉयी पटरी पर स्थित ग्राम–बरहाना के खसरा सं0–617 में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेषन लि0, 65/2, संजय प्लेस, आगरा द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0522528 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनापत्ति का प्रस्ताव (FP/UP/OTHERS/40253/2019)

संदर्भ :– आपके कार्यालय का पत्रांक 38 / 11सी–2496 / ए फ0पी0 / यू0पी0 / अदर्स / 40253 / 2019 दिनांक 04.07.2019 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा का पत्रांक 131 / 14–1 दिनांक 12.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विशयक प्रस्ताव में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा के सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्राप्त सूचना के आधार पर प्रस्ताव की कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर संस्तुति सहित निम्नवत् प्रेषित है :–

| Con. No. | Conditions | Status of Complience |
|---|---|---|
| 1. | क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का 10 वर्षो अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु प्राक्कलन भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन के अनुसार नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर 50 वर्षो के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन सारांश सहित संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में धनराशि एवं प्राक्कलन अपलोड करें । | निर्देशों के क्रम में नवीन गाइड लाइन के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण योजना का प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न–38 के रूप पृष्ठ सं0–60 से 62 तक संलग्न कर दिया गया तथा उसको भाग–2 में धनराशि एवं प्राक्कलन अपलोड कर दिया गया है । |
| 2. | प्रस्ताव में संलग्न सी0डी0 में क्षतिपूरक वनीकरण का Geo Referenced Digital Map एवं टोपोशीट प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अपलोड नहीं किये गये हैं । अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित क्षतिपूरक वनीकरण का Geo Referenced Digital Map एवं टोपोशीट सी0डी0 में अपलोड कर संलग्न करें । | क्षतिपूरक वनीकरण योजना का Geo Referenced Digital Map एवं टोपोशीट प्रभागीय निदेशक, मथुरा से प्रतिहस्ताक्षरित कर अपलोड कर उसकी सी0डी0 प्रस्ताव में पृष्ठ सं0–43 पर संलग्न सं0–87 के रूप में संलग्न है। |
| 3. | प्रस्तावित वनभूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता जो प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है । | प्रभागीय निदेशक, मथुरा से प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता प्रस्ताव में पृष्ठ सं0–32 जो संलग्न–17 के रूप में संलग्न है। |

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा से प्राप्त आपत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख 03–03 प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

(जावेद अख्तर) 12-7-19
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक ______ / ______ समदिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य प्रबन्धक, (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Received with enclosures.
11/7/2019

(जावेद अख्तर)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।